रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112021-231309
CG-DL-E-23112021-231309

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 662]	नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021/अग्रहायण 2, 1943
No. 662]	NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/AGRAHAYANA 2, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवंबर, 2021

सा.का.नि. 821(अ).—केंद्रीय सरकार, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) की धारा 25, धारा 43 की उपधारा (3) और धारा 71 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (2) के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महापत्तन प्राधिकरण (महा योजना और गैर-पत्तन से संबंधित उपयोग के लिए निधियों का उपायोजन) नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) अभिप्रेत है ;

(ख) "अनुलग्न भूमि" से बोर्ड की या बोर्ड के कब्जे या अधिभोग की भूमि अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत नगरी के लिए पहचानी गई भूमि या मुद्रीकरण के माध्यम से बोर्ड द्वारा किसी अन्य राजस्व सृजन के कार्यकलाप भी सम्मिलित हैं ;

(ग) "गैर-पत्तन से संबंधित उपयोग" से ऐसे उपयोग से भिन्न उपयोग अभिप्रेत हैं, जो पत्तन से संबंधित उपयोग से भिन्न हैं ;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमश: वही अर्थ होंगे, जो उनका अधिनियम में है ।

3. बोर्ड द्वारा पत्तन आस्तियों का उपयोग—(1) प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण का बोर्ड उससे अनुलग्न भूमि का ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकेगा, जो वह महापत्तन के फायदे के लिए उचित समझे ।

(2) प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण के बोर्ड को पत्तन आस्तियों के उपयोग और विकास तथा उससे अनुलग्न भूमि के पत्तन से भिन्न उपयोग के लिए विनियम बनाने की शक्ति होगी और ऐसे विनियम किसी नगरपालिक, स्थानीय या राज्य सरकार के विनियमों से स्वतंत्र होंगे :

परंतु बोर्ड द्वारा बनाए गए ऐसे विनियम केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किसी नीति से असंगत नहीं होंगे ।

4. बोर्ड द्वारा स्थावर संपत्ति का विक्रय, पट्टाऔर अर्जन—(1) बोर्ड द्वारा भूमि या स्थावर संपत्ति की संविदा या प्रबंधन या पट्टा या भूमि या स्थावर संपत्ति की अनुज्ञप्ति पत्तन से संबंधित और पत्तन से भिन्न उपयोग के लिए समय-समय पर इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा जारी नीति के अनुसार होगा ।

(2) जहां कोई स्थावर संपत्ति विनिर्दिष्टत: भूमि का बोर्ड द्वारा महापत्तन प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिए अर्जन या क्रय किया जाना है तो बोर्ड द्वारा ऐसी स्थावर संपत्ति का अर्जन अधिनियम की धारा 23 में परिकल्पित रीति में किया जाएगा । किसी अन्य स्थावर संपत्ति के लिए बोर्ड उसका अर्जन बोर्ड द्वारा इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी नीति के अधीन रहते हुए अंगीकृत विनियमों के अनुसार किया जा सकेगा ।

(3) जहां किसी महापत्तन की पत्तन सीमाओं के भीतर किसी भूमि की केंद्रीय सरकार द्वारा अपेक्षा है तब भी जब वह बोर्ड द्वारा बनाई गई महा योजना या अंगीकृत महा योजना का भाग हो, उसका अर्जन, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों या अन्य भूमि अर्जन विधियां या तत्समय प्रवृत्त केंद्रीय सरकार द्वारा जारी नीतियों के अनुसार होगा ।

5. पत्तन आस्तियों का विकास—(1) प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण का बोर्ड पत्तन सीमाओं और उससे अनुलग्न भूमि, पत्तन आस्तियों में ऐसे सिविल ढांचे, भवन, जल निकास, सड़क, बाड, नलकूप, इंटेककूप, भंडारण सुविधाएं, भांडागार, पाईपलाइन, टेलीफोन लाइन, संचार टावर, विद्युत आपूर्ति, पारेषण लाइन और उपस्कर बनाने, विकास करने, संनिर्माण करने, खड़ा करने या निर्माण करने और ऐसे अन्य संकर्म और सुविधाएं जैसा कि बोर्ड पत्तन से संबंधित उपयोग, पत्तन विकास या राष्ट्रहित में वाणिज्य और व्यापार में सुधार करने के लिए आवश्यक समझे, का हकदार होगा, जिसके लिए राज्य प्राधिकारियों से कोई विनियामक अनुज्ञप्ति या अनुमोदन की तब तक अपेक्षा नहीं होगी, जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा आज्ञापक न किया जाए ।

(2) उपनियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण का बोर्ड पत्तन सीमाओं के भीतर और उससे अनुलग्न भूमि को परिवर्तित करने, विकसित करने, संनिर्माण करने, परिनिर्मित करने या निर्माण करने के लिए पत्तन आस्तियों को गैर पत्तन से संबंधित उपयोग करने के लिए इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी नीति के अधीन रहते हुए हकदार होगा ।

6. पत्तन आस्तियों के उपयोग और विकास से उद्‌भूत विवादों को सुलह और समझौता समिति को निर्दिष्ट करना-(1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर बोर्ड द्वारा पत्तन आस्तियों और उससे अनुलग्न भूमि के उपयोग और विकास के संबंध में किए गए किसी संविदा से उद्‌भूत विद्धमान या भावी विवाद, मतभेद या दावे को उपनियम (2) के अधीन बोर्ड द्वारा गठित समिति को सुलह के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा:

परंतु तत्कालीन महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन न्यासी बोर्ड द्वारा की गई किसी संविदा से संबंधित विवादों, मतभेदों या दावों और जो पहले से ही किसी न्यायालय या न्यायानिर्णायन प्राधिकरण के समक्ष लंबित हैं, को ऐसी समिति को तब तक निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि समिति को ऐसा निदेश विवादकारी पक्षकारों द्वारा पारस्परिक सहमति से और संबंधित न्यायालय या न्यायनिर्णायन प्राधिकरण, जहां ऐसा विवाद, मतभेद या दावा लंबित है, की लिखित सहमति से न किया जाए ।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी विवाद, मतभेद या दावे की सुलह के प्रयोजन के लिए बोर्ड एक सुलह और समझौता समिति का गठन करेगा और ऐसी समिति के कार्यकरण की प्रक्रिया और अन्य निबंधनों और शर्तों का इस निमित्त समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमोदन करेगा ।

(3) उपनियम (2) के अधीन गठित सुलह और समझौता समिति एक सौहार्द्रपूर्ण समझौता कराने के लिए मध्यकता करेगी और विवादकारी पक्षकारों की सहायता करेगी तथा वह विवादकारी पक्षकारों के बीच विवादों, मतभेदों या दावों के समझौते के लिए बोर्ड को अपनी सिफारिशें भी दे सकेगी ।

7. पत्तन आस्तियों के उपयोग और विकास से उद्भूत विवादों का न्यायनिर्णयण बोर्ड को निर्देश- (1) यदि किसी विवाद, मतभेद या दावे में कोई पक्षकार नियम 7 के अधीन सुलह और समझौता समिति की उक्त समिति को की गई सिफारिशों से सहमत नहीं है या विवादकारी पक्षकारों के बीच समझौता नियम 7 के अधीन सुलह कार्यवाहियों के पश्चात् असफल हो जाता है, तो ऐसा पक्षकार ऐसे विवाद, मतभेद या दावे को न्यायनिर्णयन बोर्ड को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा:

परंतु निम्नलिखित मामलों को न्यायनिर्णयन के लिए न्यायनिर्णायक बोर्ड को निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा :

(क) तत्कालीन महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन न्यासी बोर्ड द्वारा की गई किसी संविदा के संबंध में विवाद, दावे या विधि कार्यवाहियां, जो पहले से ही किसी न्यायालय या न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष लंबित हैं ; और

(ख) महापत्तन प्राधिकरण की किसी स्थावर संपत्ति के विक्रय और अर्जन से संबंधित मामले ।

(2) उपनियम (1) के अधीन निर्देश, महापत्तन (न्यायनिर्णयन बोर्ड) नियम, 2021 में विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी आवेदन को भरकर न्यायनिर्णयन बोर्ड को किया जाएगा ।

8. महा योजना—(1) प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण का बोर्ड विनिर्दिष्ट महायोजन सृजित करने का हकदार होगा, जिसके अंतर्गत पत्तन सीमाओं या उससे अनुलग्न भूमि के भीतर स्थापित होने के लिए किसी विकास या स्थापित या प्रस्तावित अवसंरचना के संबंध में योजना के व्ययों के लिए भूमि भी सम्मिलित है :

परंतु बोर्ड द्वारा बनाई गई ऐसी कोई महा योजना इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं नियमों या नीति से असंगत नहीं होगी ।

(2) प्रत्येक महा योजना को दस वर्ष की अवधि के लिए तैयार किया जाएगा और वह गैर-पत्तन से संबंधित और पत्तन से संबंधित उपयोग को विद्यमान पत्तन आस्तियों और उससे अनुलग्न भूमि के साथ महा योजना के अधीन विकास प्रस्तावित है को तैयार करेगी :

परंतु बोर्ड ऐसी महा योजना का कारणों को लेखबद्ध करते हुए दस वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय पुनर्विलोकन और उपांतरण करने का हकदार होगा ।

(3) उपनियम (1) के अधीन बोर्ड द्वारा तैयार की गई महा योजना किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण विनियमों से स्वतंत्र होगी और बोर्ड द्वारा तैयार की गई महा योजना और राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की मास्टर योजना के बीच विभेद होता है तो बोर्ड द्वारा तैयार की गई महा योजना अविभावी होगी:

परंतु कोई भावी महा योजना उक्त महा योजना की अधिसूचना से पूर्व बोर्ड द्वारा निष्पादित विद्यमान संविदाओं का उन संविदाओं के संबंध में अधिक्रमण नहीं करेगी जिनकी बाबत बोर्ड से संबंधित राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से अनुमोदन अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है या अनुमोदन पहले ही अभिप्राप्त कर लिया गया है ।

9. गैर-पत्तन से संबंधित उपयोग के लिए प्राप्त धन का उपयोजन- बोर्ड द्वारा या उसके निमित्त गैर-पत्तन से संबंधित उपयोग के लिए प्राप्त धन को किसी पदाभिहित खाते में जमा किया जाएगा और बोर्ड द्वारा उसका उपयोग पूंजी विनिधान या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जो बोर्ड ठीक और उचित समझे:

परंतु गैर-पत्तन से संबंधित उपयोग के लिए प्राप्त धन का उपयोजन करने के लिए बोर्ड ऐसे दिशा-निर्देशों का अनुसरण करेगा जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त समय-समय पर जारी करे ।

[फा. सं.पीडी-24015/21/2021-पीडी-1]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2021

GSR. 821(E).—In exercise of the powers conferred by first proviso to sub-section (2) of section 22, read with section 25, sub-section (3) of section 43, sub-section (1) of section 71 of the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Major Port Authorities (Master Plan and Application of Funds from Non Port related Use) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires.-

(a) "Act" means the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021);

(b) "land appurtenant" means the land belonging to or in the possession or occupation of the Board and includes the land identified for township or for any other revenue generation activity by the Board through monetisation;

(c) "non port related use" mean any use other than those undertaken for port related use;

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Usage of port assets by the Board.— (1) The Board of each Major Port Authority may use the land appurtenant thereto in such manner and for such purposes as it may deem fit for the benefit of the Major Port.

(2) The Board of each Major Port Authority shall have the power to make regulations for usage and development of port assets and the land appurtenant thereto for port related use and non port related use and such regulations shall be independent of any municipal, local or State Government regulations:

Provided that any such regulations made by the Board shall not be inconsistent with any policy issued by the Central Government in that regard.

4. Sale, Lease and Acquisition of immovable property by the Board.— (1) The contract or arrangement by the Board for sale of land or immovable property or for lease or license of land or immovable property for port related use and non port related use shall be in accordance with the policy issued by the Central Government in this behalf from time to time.

(2) Where any immovable property, more specifically land, is to be acquired or purchased by the Board for the purposes of the Major Port Authority, the acquisition of such immovable property by the Board shall be undertaken in the manner stipulated in section 23 of the Act. For any other immoveable property, the Board may acquire the same in accordance with the regulations adopted by the Board, subject to the policy issued by the Central Government in that regard.

(3) Where any land within the port limits of a Major Port is required by the Central Government even though the same may be part of a master plan made or adopted by the Board, the acquisition thereof shall take place in accordance with the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and

Resettlement Act, 2013 or any other land acquisition laws or policy issued by the Central Government for the time being in force.

5. Development of port assets.— (1) The Board of each Major Port Authority shall be entitled to make, develop, construct, erect or build within the port limits and the land appurtenant thereto, port assets such as civil structures, buildings, drains, roads, fences, tube-wells, in-take wells, storage facilities, warehouses, pipelines, telephone lines, communication towers, electricity supply, transmission lines and equipment and such other works and conveniences as the Board may think fit and proper for port related use, port development or improving commerce and trade in national interest, for which no regulatory license or approval from the State authorities shall be required, unless so mandated by the Central Government.

(2) Without prejudice to sub-rule (1), the Board of each Major Port Authority shall be entitled to convert, develop, construct, erect or build within the port limits and the land appurtenant thereto, port assets for non port related use, subject to the policy issued by the Central Government in this behalf from time to time.

6. Reference of disputes arising from usage and development of port assets to Conciliation and Settlement Committee.- (1) Upon commencement of the Act, any existing or future dispute, difference or claim arising out of any contract entered into by the Board in relation to the usage and development of port assets and the land appurtenant thereto shall be referred for conciliation by a committee set up by the Board under sub-rule (2):

Provided that the disputes, differences or claims relating to any contract entered into by the Board of Trustees under the erstwhile Major Port Trusts Act, 1963 and already pending before any court or adjudicating authority shall not be referred to such committee, unless such reference is made to the committee by the mutual consent of the disputing parties and upon prior written approval of the concerned court or adjudicating authority where such dispute, difference or claim is pending.

(2) For the purpose of conciliation of any dispute, difference or claim under sub-rule (1), the Board shall constitute a Conciliation and Settlement Committee and approve the procedure for the functioning and other terms and conditions of such Committee, in accordance with the guidelines issued in this behalf by the Central Government from time to time.

(3) The Conciliation and Settlement Committee constituted under sub-rule (2) shall mediate and assist the disputing parties in arriving at an amicable settlement and may also give its recommendations for settlement of the dispute, difference or claim between the disputing parties to the Board.

7. Reference of disputes arising from usage and development of port assets to Adjudicatory Board.— (1) In the event any party to the dispute, difference or claim referred to the Conciliation and Settlement Committee under rule 7 is not satisfied with the recommendations made by the said Committee or the settlement between the disputing parties fails to conclude after the conciliation proceedings under rule 7, then such party may refer such dispute, difference or claim for adjudication to the Adjudicatory Board:

Provided that the following matters shall not be referred for adjudication by the Adjudicatory Board:

(a) disputes, claims or legal proceedings relating to any contract entered into by the Board of Trustees under the erstwhile Major Port Trusts Act, 1963 and already pending before any court or adjudicating authority; and

(b) matters relating to sale of and acquisition of, any immovable property of the Major Port Authority.

(2) The reference under sub-rule (1) shall be made to the Adjudicatory Board by filing an application in accordance with the procedure prescribed in the Major Ports (Adjudicatory Board) Rules, 2021.

8. Master plan.— (1) The Board of each Major Port Authority shall be entitled to create specific master plan including the land use plan in respect of any development or infrastructure established or proposed to be established within the port limits and the land appurtenant thereto:

Provided any such master plan made by the Board shall not be inconsistent with any rules or policy issued by the Central Government in that regard.

(2) Each master plan shall be prepared for a period of ten years and shall demarcate the port related use and non port related use in respect of the existing port assets and the land appurtenant thereto as well as those proposed to be developed under the master plan:

Provided that the Board shall be entitled to review and modify such master plan at any time during the currency of the ten year period for reasons to be recorded in writing.

(3) The master plan prepared by the Board under sub-rule (1) shall be independent of any State Government or local authority regulations and in case of any conflict between the master plan made by the Board and the master plan of the State Government or any local authority, the master plan made by the Board shall prevail.

Provided that no prospective master plan shall supersede the existing contracts executed by the Board prior to the notification of the said master plan in respect of which the Board was otherwise required to obtain or has already obtained the approval of the concerned State Government or the local authority.

9. Application of money received from non-port related use.— The money received by or on behalf of the Board from non-port related use shall be credited to a designated account and shall be applied by the Board for capital investment or such other purposes as the Board may deem fit and proper:

Provided that in application of money received from non-port related use, the Board shall follow such guidelines as may be issued by the Central Government in this behalf from time to time.

[F. No. PD-24015/21/2021-PD-I]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2021.11.23 22:43:44 +05'30'